

13/3/24

पत्रावली पेश है। उक्त पत्रावली 34/1
वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र धारा (212) रा.
में ही जारी नोट-प्रेस में खारिज करने
का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रार्थी
को लुना गया। वकील प्रार्थी ने जाहीर किया
कि उक्त प्रार्थना पत्र धारा (212) रा. में ही
आगे चलना नहीं चाहे है। उक्त प्रार्थना
पत्र जारी NOT fresh में खारिज किया
जावे। अतः प्रार्थी वकील द्वारा उक्त
प्रार्थना पत्र जारी नोट-प्रेस में खारिज
किया जाग है। पत्रावली केवल शुभारंभ
दोकेट दारिखत द्वारा ही व जम्बा ले
सम है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(रूपखण्ड अधिकारी) सांचौर